न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बालेसर
(जिला – जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :–भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर :– 108/2024
जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2024/181

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
तहसीलदार सेखाला		उगमसिंह पुत्र शैतानसिंह वगेराह (धीरपुरा)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131,132,136 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58,59,60,66 एवं 86

::आदेश::

दिनांकः– 10/3/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। तहसीलदार सेखाला द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2024/621 दिनांक 27.06.2024 से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,132,136 भू.राजस्व अधिनियम सपठित धारा 58,59,60,66,86 राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 इस आश्य का प्रस्तुत किया। तहसीलदार सेखाला के उक्त प्रार्थना पत्र के संलग्न हल्का पटवारी की मौका फर्द के अनुसार फसल खरीफ दौराने गिरदावरी **ग्राम धीरपुरा पटवार मण्डल केतुकला तहसील सेखाला** में चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो भी मौका पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड तथा जमाबन्दी में अंकन नहीं है। तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू. राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58 के प्रोग्रामानुसार फसल खरीफ संवत 2076 गिरदावरी के दौरान **ग्राम धीरपुरा पटवार मण्डल केतुकला तहसील सेखाला के खसरा नम्बर 1769/1231, 1232, 1227, 1226, 1225, 1222/4** में कदीमी व सार्वजनिक प्रकृति के रास्ता मौके पर चालू है परन्तु इनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबंदी व नक्शे मे अंकन नही है। तहसीलदार सेखाला द्वारा उक्त खसरो मे चल रहे आवगमन के रास्ते को राजस्व रेकर्ड मे रास्ते के रूप में दर्ज करने की अनुशंषा की गई है। सार्वजनिक सूचना का नोटिस सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया। उक्त रास्ते के सम्बन्ध मे कोई भी आपत्ति न्यायालय मे प्राप्त नही।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप 6) के परिपत्र कमांक प3 (2) राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.16 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि में वर्तमान में चल रहे बारहमासी रास्ता जो राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में अभिलिखित नहीं है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत में मौजूद है तथा अब पब्लिक इस रास्ते का आवगमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है। ऐसे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता काफी लम्बा है जो एक ढाणी से दुसरी ढाणी को जोडता है। तहसीलदार सेखाला की रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त बाद गौर तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मोके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/तरमीन नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना राज्यहीत में एवं न्यायोचित प्रतीत होता है साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै.मु.रास्ता किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार का स्वीकार कर बारहमासी **ग्राम धीरपुरा पटवार मण्डल केतुकला तहसील सेखाला के निम्न खसरा नम्बरो मे प्रस्तावित रास्ते का** प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शें में वर्णित लाल मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, निम्न प्रस्तावित भूमि कि किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जायेगी, किन्तु भूमि निजी खाते में होने की सूरत में पूर्ववत निजी खाते में रहेगी तथा नक्शें में रास्ते की भूमि का लाल स्याही से अंकन किया जावें उक्त कार्यवाही नामान्तरकरण प्रकिया जरिये संपादित की जावें। प्रस्तावों के सलंग्न तहसीलदार द्वारा प्रेषित प्रस्तावित नक्शा एवं मौका फर्द इस आदेश के अभिन्न अंग रहेगें।

क्र. स.	नाम पटवार मण्डल	नाम राजस्व ग्राम	प्रभावित होने वाले निम्नानुसार खसरें	खसरे का कुल रकबा (हैक्टेयर मे)	खसरे में से प्रभावित होने वाला रकबा (हैक्टेयर मे)
01	केतुकल्ला	धीरपुरा	1769/1231	16.2036	0.0856
02	केतुकल्ला	धीरपुरा	1232	11.9787	0.2108
03	केतुकल्ला	धीरपुरा	1227	13.3870	0.4456
04	केतुकल्ला	धीरपुरा	1226	14.3582	0.5156
05	केतुकल्ला	धीरपुरा	1225	17.4176	0.1564
06	केतुकल्ला	धीरपुरा	1222/4	3.6179	0.0320

निर्णय आज दिनांक 10/3/25 को सुनाया गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार को प्रेषित की जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
बालेसर
बालेसर

क्रमाक वाचक/2025/79 दिनांक 10/3/2025

1. तहसीलदार सेखाला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

पीठासीन अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,
बालेसर
बालेसर

Scanned with OKEN Scanner